संख्या–ए–2–1035 / दस–2013–24(3)2013

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2013

विषय :– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय–12 के प्रस्तर–371 में परिवर्तन / परिवर्धन विषयक।

महोदय,

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के अध्याय–12 के प्रस्तर–371 में सरकारी भूमि एवं अचल सम्पत्तियों के विकय के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है :–

"All Government land and immovable property should ordinarily be sold through the Revenue department."

सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय कार्यहित में प्रस्तर–371 में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

"All Government land and immovable property should be disposed of / alienated in consultation with the Revenue department."

2– उक्त परिवर्तन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के अध्याय–12 के प्रस्तर–371 में संशोधन अलग से किये जायेंगे।

भवदीय,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव।

.....2

पृ0 सं0–ए–2–1035(1)/दस–2013–24(3)/2013,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– निदेशक, कोषागार, जवाहरभवन, उ0प्र0लखनऊ ।

3– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4– निदेशक, एन0आई0सी0 को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।